Annexure - IV

Schedule – II

Disciplines in which University shall undertake study & Research

1. Management Stream
2. Engineering Stream
3. Information Technology Stream
4. Mass Communication/Media
5. Traditional & General Science Stream

Course to be offered from 2nd year of inception

1. Paramedical Stream/Allied Health Courses
2. Art & Craft Stream
3. Hotel Management & Catering Technology

Course to be offered from 3rd year of inception

1. Medical Stream

H.S. Saxena,
Principal Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 3 (8) शिक्षा–4/2018

जयपुर, दिनांकः 28-7-2021

कुलसचिव,
जगननाथ विश्वविद्यालय,
जयपुर।

विषयः—विश्वविद्यालय में नवीन संकाय/ पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति बाबत।
संदर्भः—आपका पत्र क्रमांक जेएनयू/रजि./2019–20/2769 दिनांक 25.09.2019 एवं 2880 दिनांक 18.10.2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं विभाग के आदेश दिनांक 16.02.2021 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त की गई अनुशंषा के आधार पर जगननाथ विश्वविद्यालय, जयपुर को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 4 के तहत निम्नलिखित संकाय/पाठ्यक्रम सत्र 2021–22 से संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. Agriculture
2. Law
3. Education
4. Architecture, Planning and Design

यह स्वीकृति निम्न शर्तों की पूर्व पालना के अधीन प्रदान की जा रही है :–

1. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने से पूर्व यूजीसी, बी.सी.आई, आईसीएआर, एनसीटीई, एआईसीटीई, राज्य सरकार एवं पाठ्यक्रमों से संबंधित समस्त विनियमन निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदण्डों तथा समय समय यपर जारी दिशा–निर्देशों इत्यादि की पूर्ण पालना करनी होगी एवं जहां आवश्यक हो, पूर्व अनुमति प्राप्त की जावेगी।
2. विनियमन निकायों के मापदण्डानुसार भूमि, भवन, लाईब्रेरी, पुस्तकालय एवं अन्य सभी सुविधाएं विकसित करनी होंगी।
3. पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 32 एवं राज्य सरकार एवं संबंधित विनियमन निकायों के दिशा–निर्देशानुसार ही दिये जा सकेंगे। व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश, केन्द्र व राज्य सरकार की प्रवेश एजेन्सियों के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से ही छात्र आवंटित करवाकर दिये जा सकेंगे।
4- कृषि पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में आईसीएआर के मापदण्डों एवं विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश दिनांक 18.01.18 की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय,

(डॉ. मोहम्मद नईम)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

R.T.O

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अवर सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली।

2 सचिव, बार कौन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।

3 सचिव, आईसीएआर, नई दिल्ली।

4 सचिव, ए.आई.सी.टी.ई., नई दिल्ली।

5 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।

6 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा।

7 निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

Scanned with CamScanner